संख्या- 108/2016/249/22-2-2016-17(188)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी रामौतार पुत्र श्री सामन्ती, निवासी-जनपद-मुरादाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामौतार पुत्र श्री सामन्ती, निवासी- ग्राम भौडा, थाना-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा अपने छोटे भाई की पत्नी से अवैध सम्बन्ध बनाना चाहता था, जिसमें असफल होने पर उसकी पत्नी व 03 साल की पुत्री की दिनांक 20-10-1985 को गडासे से मारकर हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-19/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 25-01-1988 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के कोई सहअभियुक्त नहीं है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.09.2015 तक 29 वर्ष 10 माह 16 दिन की अपरिहार एवं 39 वर्ष 01 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, द्वारा अपनी अख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किया गया हत्या का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, जो व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रामौतार (बन्दी संख्या-33707) पुत्र श्री सामन्ती, निवासी जनपद-मुरादाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 108/2016/249/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in